रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062023-246421
CG-DL-E-09062023-246421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2023/ज्येष्ठ 19, 1945
No. 343] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2023/JYAISHTHA 19, 1945

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2023

सा.का.नि. 417(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 20च की उप-धारा (5) के अनुसरण में,केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण में निदेशक, अवर सचिव, प्रणाली विश्लेषक, प्रशासनिक अधिकारी और फोटो अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, भर्ती नियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इनसे उक्तअनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- कोई व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा अथवा विवाह की संविदा की है,अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निदेशक	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह'क' पद के समकक्ष	स्तर 13 (123100-215900 रुपये)

क्या चयन पदअथवा गैर-चयन पदहै	सीधे भर्ती से आने वालों हेतु आयु-सीमा	सीधे भर्ती से आने वालों हेतु आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी अथवा नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति,भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित), पुनर्नियोजन

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ पुनर्नियोजन: (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद चार वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री; और (ii) प्रशासन और स्थापना अथवा लेखा अथवा बजट अथवा कानूनी मामलों अथवा सतर्कता अथवाई-अभिशासन अथवा परियोजना कार्यान्वयन अथवा आयोजना और नीति के क्षेत्र में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण1:** केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: -** (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण), संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष (2) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - सदस्य (3) निदेशक, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (4) अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अवर सचिव	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह'क' पद के समकक्ष	स्तर-11 (67700-208700 रूपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित), पुनर्नियोजन

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ पुनर्नियोजन: (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री; और (ii) प्रशासन और स्थापना अथवा लेखा अथवा बजट अथवा कानूनी मामलों अथवा सतर्कता अथवाई-अभिशासन अथवा परियोजना कार्यान्वयन अथवा आयोजना और नीति के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण1:** केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: -** (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण), संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष (2) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - सदस्य (3) निदेशक, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (4) अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. प्रणाली विश्लेषक	3* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह'क' पद के समकक्ष	स्तर-10 (56100-177500 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित), पुनर्नियोजन

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ पुनर्नियोजन: (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; अथवा; (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा के साथ वैज्ञानिक अधिकारी अथवा इंजीनियर अथवा वरिष्ठ प्रोग्रामर अथवा सदृश पदधारित किए हुए हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखता हो: (i) बी.टेक/बी.ई./बी.एससी-इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/कंप्यूटर/आईटी) अथवा एम. एससी(आईटी)अथवा एमसीए, और (ii) डॉटनेट/डीओटीपीएचपी/डेटाबेसएसक्यूएल/ सी++/जावा में कम से कम दो वर्ष का प्रोग्रामिंग अनुभव। **टिप्पण1:** केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: -** (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण), संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष (2) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - सदस्य; (3) निदेशक, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य (4) अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. प्रशासनिक अधिकारी	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह'ख' पद के समकक्ष	स्तर-8 (47600-151100 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित), पुनर्नियोजन

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ पुनर्नियोजन: (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) प्रशासन और स्थापना अथवालेखा/वित्त/बजट/लेखा परीक्षा/ कानूनी मामलों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण1:** केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण), संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष (2) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - सदस्य (3) निदेशक, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (4) अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. फोटो अधिकारी	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह'ख' पद के समकक्ष	स्तर-6 (35400-112400/- रूपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित), पुनर्नियोजन

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ पुनर्नियोजन: (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवाकेंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद फोटोग्राफर के पद अथवा सदृश पद पर तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएंऔर अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फोटोग्राफीमें स्नातक की डिग्री; और (ii) फोटोग्राफी में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण1:** केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: -** (1) संयुक्त सचिव (प्रशासन अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण), संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष (2) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - सदस्य (3) निदेशक, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य (4) अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं

[फा. सं. एनएमए-आरआर/2022/यूनेस्को/एमओएल]

संजुक्ता मुद्गल, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265403
CG-DL-E-13082025-265403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947
No. 502] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 546(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 20च की उप-धारा (5) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण में वास्तुकला ड्राइंग अधिकारी, सर्वेक्षण अधिकारी और आशुलिपिक ग्रेड II के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन नियमों को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, भर्ती नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- येनियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इनसे उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

File No. NMA-RR/2022/UNESCO/MoL (Computer No. 434)
Generated from eOffice by SAHIB SINGH, CON-ADM(SS)-NMA, CONSULTANT (ADMINTRATION), NATIONAL MONUMENT AUTHORITY on 19/08/2025 10:28 AM

5. निरर्हता- कोई व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा

अथवा विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह

किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सर्वेक्षण अधिकारी	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समकक्ष	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपये)

क्या चयन पद अथवा गैर-चयन पदहै	सीधे भर्ती से आने वालों हेतु आयु-सीमा	सीधे भर्ती से आने वालों हेतु आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी अथवा नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

File No. NMA-RR/2022/UNESCO/MoL (Computer No. 434)
Generated from eOffice by SAHIB SINGH, CON-ADM(SS)-NMA, CONSULTANT (ADMINTRATION), NATIONAL MONUMENT AUTHORITY on 19/08/2025 10:28 AM

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन रिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएंऔर अनुभव रखता हो: (i) वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (12वीं) परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण; और; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्वेक्षण में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; और (iii) सर्वेके क्षेत्र में दोवर्ष का अनुभव हो। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधिसामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: - (1) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा संयुक्त सचिव (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा निदेशक (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. वास्तुकला ड्राइंग अधिकारी	1* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह'ख' पद के समकक्ष	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/: (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक	विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: -	लागू नहीं

File No. NMA-RR/2022/UNESCO/MoL (Computer No. 434)
Generated from eOffice by SAHIB SINGH, CON-ADM(SS)-NMA, CONSULTANT (ADMINTRATION), NATIONAL MONUMENT AUTHORITY on 19/08/2025 10:28 AM

क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हो;अथवा (iii)मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला में डिग्री अथवा डिप्लोमा; और (ii)वास्तुकला के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण1:** केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(1) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा संयुक्त सचिव (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष; (2)निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा निदेशक (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अथवा अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. आशुलिपिक ग्रेड II	3* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह'ग' पद के समकक्ष	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित),

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिकअनुबंध सहित): (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों के अधिकारी: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	विभागीय प्रोन्नति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: - (1) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण या संयुक्त सचिव (एनएमए), संस्कृति	लागू नहीं

File No. NMA-RR/2022/UNESCO/MoL (Computer No. 434)
Generated from eOffice by SAHIB SINGH, CON-ADM(SS)-NMA, CONSULTANT (ADMINTRATION), NATIONAL MONUMENT AUTHORITY on 19/08/2025 10:28 AM

धारित किए हुए हो; अथवा; (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएंऔर अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता; और (ii) नियमित कार्य में अधिकारी की सहायता करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **टिप्पण1:** केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	मंत्रालय - अध्यक्ष; (2)निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण या निदेशक (एनएमए), संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण या अवर सचिव,संस्कृति मंत्रालय-सदस्य।	

[फा.सं. एनएमए-आरआर/2022/यूनेस्को/एमओएल(ई-59737)]

गुरमीत सिंह चावला, संयुक्त सचिव